न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधि0 कोर्ट संख्या–02 मेरठ।
जे.ओ.कोड–यूपी06350
पीठासीन अधिकारी का नाम–प्रहलाद सिंह–II
कम्प्यूटर रजिस्टर संख्या–6824/**2022**
जमानत प्रार्थनापत्र सं0–5587/2022
सीएनआर नम्बर यूपीएमई01 016816/2022
मुकदमा अपराध संख्या 266/2022
थाना–भावनपुर, जिला मेरठ।
राजू शर्मा पुत्र प्रकाश शर्मा निवासी ग्राम सुभानपुर थाना चांदीनगर जिला बागपत।
प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य..... अभियोगी।

30.08.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र कारागार में निरूद्व प्रार्थी/अभियुक्त राजू शर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 266/2022 धारा 414 आईपीसी थाना भावनपुर जिला मेरठ, के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित 17.08.2022 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ0नि0 भगवती प्रसाद ने दिनांक 14.08.2022 को समय 14:51 बजे थाना भावनपुर जिला मेरठ पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14.08.2022 को समय 12:30 बजे अभियुक्तगण के कब्जे से दो मोटर साईकिलें पंजीयन संख्या एमएच14एआर9493 व दूसरी मोटर साईकिल पंजीयन सं. यूपी 17एस 0739, चेसिस नम्बर एमबीएलएचएडब्लू095केएचएल80118 इंजन नम्बर एचए10एजीकेएचएलसी3026 बरामद हुई। जिसके आधार अभियुक्तगण के विरूद्व यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा तभी से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह अपनी बहन के घर गया था और बहन के घर से ही पुलिस ने उसे उठा लिया और छोडने के लिए रूपयों की मांग की। रूपये न देने पर फर्जी मुकदमा दर्शाते हुए उसके विरूद्व मामला दर्ज करा दिया। वह गवाहों को डरायेगा धमकायेगा नही। इसलिए उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के कब्जे से मोटर साईकिल संख्या एमएच14एआर94936 बरामद होने का आरोप है लेकिन उक्त मोटर साईकिल कहां से चोरी हुई इसका कोई प्रमाण नही है। न ही ऐसा कोई साक्ष्य केस डायरी में अंकित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में चोरी की गयी वस्तु को छिपाने या उसका निस्तारण किये जाने में कोई सहायता की गयी हो। अभियुक्त द्वारा बरामदगी को फर्जी बताया गया है। कथित बरामदगी के तथ्य का निस्तारण विचारण के दौरान किया जा सकता है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्व है। मामले की विवेचना व विचारण में समय लगना स्वाभाविक है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में कोई रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही की

गयी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजू शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 50,000–00रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानत संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(**प्रहलाद सिंह–II**)

दिनांकः–30.08.2022 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो अधि0/कक्ष सं02, मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference
For authentic copy please refer to certified copy only.